State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India,Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning Coordination Organization
Paryavaran Parisar,E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970,2466859
Fax : 0755-2462136

No:293 /EPCO-SEIAA/16
Date : 2.4.16

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)
जिला–
मध्यप्रदेश

विषयः–भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा EIA अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 के तहत खनन गतिविधियों हेतु गौण खनन एवं पर्यावरण स्वीकृति के आवेदनों के साथ अभिलेख बाबत्।

संदर्भः–म0प्र0 सिया के ज्ञाप क्र. 4253/SEIAA/15 दिनांक 03.08.2015 एवं संशोधन ज्ञाप क्र. 5706 /SEIAA/15 दिनांक 22.09.15

मध्यप्रदेश पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (MPSEIAA) के उपरोक्त संदर्भित कार्यालयीन ज्ञाप का अवलोकन करनें का कष्ट करें जो कि MPSEIAA की वेबसाईट www.mpseiaa.nic.in में भी अपलोड है। सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त कार्यालयीन ज्ञाप में यह स्पष्ट किया गया था कि गौण खनिज के आवेदन के संदर्भ में प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा आवेदन देते समय आवश्यक दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त ज्ञाप में यह भी स्पष्ट किया गया था कि सक्षम अधिकारी द्वारा गौण खनिज के स्वीकृति आदेश में खनिज पट्टे से नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, इकोसेंसेटिव झोन, वन क्षेत्र, मानव बसाहट, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जलाशय, नदी, तालाब, नहर तथा अन्य स्वीकृत खनि पट्टे की जानकारी एवं रेत खनन के प्रकरणों में नदी के नाम का अंकन करेंगे और आदेश में अंकित करने की स्थिति में आवेदक को उपरोक्त जानकारी से संबंधित अन्य किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी।

कृपया उपरोक्त संदर्भित कार्यालयीन ज्ञाप के अनुसार गौण खनिज के माईनिंग लीज स्वीकृति आदेश में उपरोक्त जानकारी अनिवार्य रूप से अंकित करें जिससे कि ऐसे माईनिंग लीज के पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र में परियोजना प्रस्तावक को किसी विभाग से अलग से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहे।

यह भी प्रस्तावित है कि DEIAA एवं DEAC के प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, SEIAA
O/C

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India,Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning Coordination Organization
Paryavaran Parisar,E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970,2466859
Fax : 0755-2462136

No: /EPCO-SEIAA/16
Date :

पृष्ठांकन क्र 294 /SEIAA/2016 दिनांक 2.4.16

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, SEIAA एवं SEAC मध्यप्रदेश, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल ।
6. सदस्य सचिव, SEAC पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल।
7. समस्त सदस्य सचिव, DEIAA एवं DEAC मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल
9. मध्यप्रदेश SEIAA की वेबसाईट हेतु।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, SEIAA

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 4253 / SEIAA/2015
Date: 3.8.15

कार्यालयीन ज्ञापन (Office Memorandum)

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की EIA अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं एवं समय–समय पर संशोधित अधिसूचनाओं के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति हेतु MP-SEIAA द्वारा जारी पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 964/एप्को/SEIAA/12 दिनांक 27.01.2012, 966/एप्को/SEIAA/12 दिनांक 27.01.2012 तथा क्र. 2366/SEIAA/12 दिनांक 06.02.2013 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. सभी आवेदक पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कंपनी होने पर संस्था के पंजीकरण के अभिलेख की स्वसत्यापित प्रति, तथा ऐसी संस्था की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति के संकल्प की प्रति।
2. प्रोजेक्ट स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ या नहीं, के संबंध में आवेदक द्वारा घोषणा पत्र /शपथ पत्र।
3. आवेदन के साथ कार्यपालन संचालक, एप्को भोपाल के नाम से राशि रू. 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट (Payble at Bhopal)।

अ. खनन गतिविधियों 1(a) से संबंधित

क. – गौण खनिज

माइनिंग के गौण खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा EIA नोटिफिकेशन 14.09.2006 तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रारूप–1 **(फार्म–1)** में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट mpseiaa.nic.in के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रिफीजिबिलिटी रिपोर्ट **(PFR)** ।
2. ऐसे उत्खनन क्षेत्र जो उन जिलों (Annexure-1) की तहसीलों में स्थित है जहां अर्न्तराज्यीय सीमा लगती है, वहां आवेदक द्वारा माइनिंग क्षेत्र से अर्न्तराज्यीय सीमा की दूरी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोआर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र /शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ)।
4. Registered Qualified Person (RQP) द्वारा तैयार की गई पर्यावरण प्रबंधन योजना **(EMP)** ।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज के स्वीकृति आदेश की नोटराइज्ड प्रति प्रस्तुत करेंगे। लीज स्वीकृति आदेश के साथ में संबंधित कलेक्टर/संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म /सक्षम प्राधिकारी निम्न बिन्दुओं की जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त कर उक्त आदेश में सम्मिलित की जावेगी। **यदि लीज आदेश पूर्व का है तो निम्न जानकारी के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
   (i) यदि खनिपट्टे से 5 कि.मी. की दूरी में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/इको सेंसेटिव जोन स्थित है तो उक्त आदेश में उनकी दूरी स्पष्ट करेंगे और नहीं होने की स्थिति में यह भी स्पष्ट करेंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र 5 कि.मी. की दूरी में नहीं है।
   (ii) खनिपट्टे में कलेक्टर यह भी स्पष्ट करेंगे कि उस खनिपट्टे से वन क्षेत्र कितनी दूर है और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त करेंगे।
   (iii) खनिपट्टे से 500 मीटर की दूरी पर यदि कोई मानव बसाहट /शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो तो उसकी दूरी।
   (iv) 500 मीटर के अन्दर कोई जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ नहर स्थित हो तो उसकी दूरी।
   (v) स्वीकृत खनि पट्टे के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत खनिपट्टा की जानकारी एवं उसका क्षेत्रफल **(रेत के प्रकरण में यह दूरी 1000 मीटर रहेगी)**।
   (vi) रेत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम ।
6. यदि खनिपट्टा वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति अथवा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति।
7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साफ्ट कापी संलग्न की जायेगी।
8. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म 1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

ख.– मुख्य खनिज

माइनिंग के मुख्य खनिजों की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा EIA नोटिफिकेशन 14.09.06 तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रारूप–1 **(फार्म–1)** में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट mpseiaa.nic.in के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रिफीजिबिलिटी रिपोर्ट **(PFR)** ।

2. ऐसे उत्खनन क्षेत्र जो उन जिलों (Annexure-1) की तहसीलों में स्थित है जहां अर्न्तराज्यीय सीमा लगती है, वहां आवेदक द्वारा माइनिंग क्षेत्र से अर्न्तराज्यीय सीमा की दूरी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोअर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र /शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माइनिंग प्लान **(अनुमोदन पत्र के साथ)**।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत माइनिंग लीज के स्वीकृति के आदेश की नोटराइज प्रति प्रस्तुत करेंगे।
5. परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) जैसे नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/टाईगर रिजर्व, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिन्हित इको सेंसेटिव जोन की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराईज्ड प्रति।
6. परियोजना स्थल से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (Critically polluted Area) की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराईज्ड प्रति। उक्त जानकारी **केवल इंदौर एवं सिंगरौली जिलों** में स्थित प्रकरणों हेतु आवश्यश्क है।
7. खनिपट्टे से वन क्षेत्र की दूरी और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त करेंगे।
8. यदि खनिपट्टा वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति अथवा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति।
9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साफ्ट कापी संलग्न की जायेगी।
10. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ब. भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेंट 8(b) गतिविधियों से संबंधित

EIA नोटिफिकेशन तथा समय–समय पर दिये गये उसके संशोधनों में निर्धारित प्रारूप **फार्म–1** तथा **फार्म 1A** में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट mpseiaa.nic.in के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. कनसेप्ट प्लान ।
2. आवेदक द्वारा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन (क्रमांक F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (Part))दिनांक **19.06.2013** (Annexure-2) के बिन्दु क्र. **iii – a से o** तक के अनुसार वांछित बिन्दुवार विस्तृत जानकारी संलग्न की जावे।

3. आवेदक द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ले आउट प्लान की प्रति।
4. परियोजना स्थल के भूमि स्वामित्व संबधी दस्तावेज (सेल/लीज डीड नवीनतम खसरा पंचशाला) की स्वप्रमाणित/नोटराइजड प्रति।
5. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत /केन्द्रीय भूजल अथारिटी से जल प्रदाय संबंधी अनुमति।
6. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत से ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/hazardous waste) के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति ।
7. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत से Treated waste water के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति ।
8. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साफ्ट कापी संलग्न की जायेगी।
9. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म 1 एवं फार्म 1–A तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

स. नोटिफिकेशन (EIA) के शेड्यूल में वर्णित अन्य सभी गतिविधियों (1(b), 1(c), 1(d) तथा 2 से 7 तक) से संबंधित (खनन गतिविधियों 1(a), भवन निर्माण 8(a) एवं एरिया डेव्हलपमेंट 8(b) को छोड़कर)

EIA नोटिफिकेशन तथा समय–समय पर दिये गये उसके संशोधनों में निर्धारित प्रारूप **फार्म–1** में आनलाइन आवेदन MPSEIAA की वेबसाइट mpseiaa.nic.in के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. EIA नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोजेक्ट की प्रीफीजिबिलिटी रिपोर्ट **(PFR)** ।
2. ऐसे परियोजना स्थल जो उन जिलों (Annexure-1) की तहसीलों में स्थित है जहां अर्न्तराज्यीय सीमा लगती है, वहां आवेदक द्वारा परियोजना स्थल से अर्न्तराज्यीय सीमा की दूरी गूगल मैप के साथ (परियोजना स्थल के कोआर्डिनेट्स दर्शाते हुए) स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेगे।
3. परियोजना स्थल से संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas) जैसे नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/टाईगर रिजर्व, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चिन्हित इको सेंसेटिव जोन की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी (वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराईज्ड प्रति।
4. परियोजना स्थल से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नोटिफाइड क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया (Critically polluted Area) की दूरी के संबंध में सक्षम अधिकारी

(संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की नोटराईज्ड प्रति। उक्त जानकारी **केवल इंदौर एवं सिंगरौली जिलों** में स्थित प्रकरणों हेतु आवश्यश्क है।

5. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज जैसे खसरा पंचशाला, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश, लीज डीड /एग्रीमेंट की नोटराइजड प्रति, यदि परियोजना नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है तो परियोजना स्थल को चिन्हित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के नक्शे की नोटराइजड प्रति।
6. यदि परियोजना स्थल वन भूमि पर है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति अथवा भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस की नोटराइज प्रति।
7. नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत / औद्योगिक क्षेत्रीय विकास निगम /केन्द्रीय भूजल अथारिटी से जल प्रदाय संबंधी अनुमति।
8. ठोस अपशिष्ट (MSW/Bio Medical Waste/hazardous waste) के व्यवस्थापन (disposal) हेतु अनुमति।
9. Treated waste water के व्यवस्थापन (disposal) संबंधी अनुमति।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जानकारियों की चेक लिस्ट एवं साफ्ट कापी संलग्न की जाये।
11. आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ की आवेदक द्वारा स्व–प्रमाणित/नोडराइज्ड प्रति जमा की जायेगी, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन फार्म स्वीकृति के उपरांत फार्म 1 तथा उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हार्ड कापी SEIAA कार्यालय में जमा किए जायेंगे।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु क्र. 2 एवं 3 की जानकारी उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक नहीं है जो कि नोटिफाइड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, SEIAA

पृ. क्र. /SEIAA/2015 भोपाल दिनांक

1. सभी संबंधित
2. अध्यक्ष / सदस्य SEIAA, राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारत प्राधिकरण, भोपाल
3. सभी अधिकारी SEIAA एवं SEAC भोपाल
4. गार्ड फाईल
5. MPSEIAA वेवसाईट

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, SEIAA

State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us http://www.mpseiaa.nic.in
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 5706 / SEIAA/15
Date: 22.9.15

संशोधित कार्यालयीन ज्ञापन (Amended Office Memorandum)

इस कार्यालय के पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 4253/SEIAA/2015 दिनांक 03.08.2015 के **खण्ड–अ** जो कि खनन गतिविधियों 1(a) से संबधित है के **उपखण्ड "क" की कंण्डिका 3 एवं 4 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाये:–**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान (अनुमोदन पत्र के साथ) जिसमें पर्यावरण प्रबंध योजना (EMP) भी सम्मलित हो।

उपखण्ड "क" की कण्डिका 5 (i) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाये :–

1. यदि खनिपट्टे से 5 कि.मी. की दूरी में अधिसूचित नेशनल पार्क/अभ्यारण स्थित है तो उक्त आदेश में उनकी दूरी स्पष्ट करेगे। और यदि ऐसा कोई क्षेत्र 5 कि.मी. की दूरी में नहीं है तो भी इस तथ्य को अपने आदेश में स्पष्ट किया जाये। यह जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के वर्गीकरण के संदर्भ में आवश्यक है क्योंकि 5 कि.मी. से कम दूरी होने पर पर्यावरण स्वीकृति के ऐसे प्रकरण "ए" कैटेगरी के हो जाते है और उनकी पर्यावरण स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार है।
2. उपरोक्त जानकारी के साथ–साथ खनिपट्टे से 10 कि.मी. की दूरी में यदि अधिसूचित नेशनल पार्क/अभ्यारण स्थित है तो उक्त आदेश में यह दूरी भी स्पष्ट की जाये क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्र J-11013/41/2006-1-A.II (I) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार जब तक अधिसूचित नेशनल पार्क/अभ्यारण का ईको सेंसेटिव जोन अधिसूचित नहीं होता है तब तक ऐसे नेशनल पार्क/अभ्यारण की सीमा से 10 कि.मी. तक के क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति के लिये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त की जानी होगी।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश अनुसार परियोजना प्रस्तावक (Project Proponent) नेशनल वाइल्ड लाईफ बोर्ड में ऑनलाईन आवेदन कर उसकी प्रति लगाते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये MP-SEIAA को Form-1 के साथ संलग्न करेगें।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
OK सदस्य सचिव, MP SEIAA

पृ. क्र. 5707 /MPSEIAA/2015 भोपाल, दिनांक 22.9.15

1. अध्यक्ष/सदस्य MP SEIAA भोपाल
2. सभी अधिकारी MP SEIAA एवं SEAC भोपाल
3. सभी संबंधित
4. गार्ड फाईल
5. MP SEIAA वेबसाईट

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव, MP SEIAA